बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–: : आदेश : :–

आदेश सं०–27/परि0–06–05/2024–सा0प्र0................पटना–15, दिनांक....................

श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–220/23, तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध श्री कुँवर खरवार, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री हेमराज काजी, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा परिवाद–पत्र इस विभाग को समर्पित किया गया। दोनों परिवादी द्वारा समरूप परिवाद पत्र विभिन्न विभागों के माध्यम से भी इस विभाग को प्राप्त हुआ। परिवाद पत्रों में दोनों परिवादी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध "टारगेट कर ब्लैकमेलिंग करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई अन्य" शिकायतें अंकित की गयी हैं।

विभागीय पत्रांक–3327 दिनांक–27.02.2024 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से परिवाद पत्र में की गयी शिकायतों की विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–4119 दिनांक–29.11. 2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया कि समिति के समक्ष आरोप से संबंधित किसी भी प्रकार का साक्ष्य, परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अमर्यादित भाषा, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, ब्लैकमेलिंग एवं परेशान करने के संबंध में सचिव एवं संयुक्त सचिव के संबंध में आयोग के विभिन्न प्रशाखाओं यथा स्थापना, लेखा एवं विधि शाखा के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से पूछताछ की गई। साथ ही उनके द्वारा लिखित बयान दर्ज कराया गया, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदन में अंकित आरोप बेबुनियाद एवं तथ्यों से परे है। जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है उस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है। श्री अकील हैदर, उपसचिव का स्थानान्तरण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–10264 दिनांक 02.07.2024 द्वारा भवन निर्माण विभाग में हो गया है।

जांच प्रतिवेदन में अग्रतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किये जाने संबंधी अंकित तथ्यों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–20778 दिनांक–27.12.2024 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना से सुस्पष्ट वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–1413 दिनांक–19.03. 2026 द्वारा सुस्पष्ट प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया कि:–

श्री मनोज कुमार, तत्कालीन अपर सचिव द्वारा विज्ञापन संख्या–2607, पद–मोटरयान निरीक्षक, वि०सं०–0511, पद–पुलिस अवर निरीक्षक एवं वि०सं०–

02010115, पद–कृषि समन्वयक के संबंध में वस्तुस्थिति अंकित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि उक्त विज्ञापनों से संबंधित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की प्रक्रिया में समय व्यतीत हुआ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की कमिटी द्वारा समीक्षा की गयी एवं प्रतिवेदन को तथ्यपरक पाया गया। कमिटी प्रतिवेदन के तथ्यों से सहमत है। जांच प्रतिवेदन पर आयोग का भी अनुमोदन प्राप्त है।

प्राप्त परिवाद पत्र एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–220/23, तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह०/–
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/परि0–06–05/2024–सा0प्र0 7043 **पटना–15, दिनांक** 20.4.26

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली/अवर सचिव, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली/सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग, पटना/अवर सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–220/23, तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/श्री कुँवर खरवार, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं श्री हेमराज काजी प्रशाखा पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20.04.26

सरकार के अवर सचिव।